रजिस्टर्ड नं० ल०-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 दिसम्बर, 1993/4 पौष, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(एफ-शाखा)

अधिसूचना

शिमला-171002, 9 दिसम्बर, 1993

संख्या सा० प्र० वि० एफ (ई) (5) 3-16/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना संख्या सा० प्र० वि० (एफ) 1 (ए) 4-2/90-1; दिनांक 9-9-1993 का तुरन्त विखण्डन करते हैं।

हस्ताक्षरित,
आयुक्त एवं सचिव।

3539-राजपत्र/93-25-12-93—1,130. (2465) मूल्य: 1 रुपया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 14 दिसम्बर, 1993

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)लूज (कराड) 2126.—क्योंकि उप-प्रधान व अन्य सभी आठ पंचगण ग्राम पंचायत कराड, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू की शिकायत पर श्री ख्याली राम प्रधान, ग्राम पंचायत कराड को जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू द्वारा करवाई गई प्रारम्भिक छानबीन करवाने पर जवाहर रोजगार योजना व अन्य अनुदानों तथा सभा निधि के भारी मात्रा में दुरुपयोग व छलहरण करने के दोषी पाए गए हैं :—

1. यह कि वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के तहत पंचायत को मु0 62000/- रु0 अनुदान के मिले जिस में से 5200/- रु0 स्लेट क्रय के व दुकान के दर्शाए तथा मौका पर कोई स्लेट नहीं पाए तथा मु0 10200/- रु0 नकद शेष अनाधिकृत रूप से अपने पास रखें हैं ।

2. वर्ष 1990-91 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अधीन मु0 30933/- रु0 का अनुदान मिला जिस में से प्रधान ने 38460/- मनमाने ढंग से बिना पंचायत की स्वीकृति से व्यय किए । चकका तलाह व रास्ते पर कोई अदायगी नहीं की एवं स्कूल भवन, कोठी हेतु 46,000/- रु0 जवाहर रोजगार योजना से और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 31134/- रु0 दिए जाने पर प्रधान द्वारा क्रमशः 670, 50, 75 तथा 13239/- रु0 बिना स्वीकृति के व्यय दर्शाया हैं जो अनियमित पाया गया ।

3. मु0 5200/- दिनांक 21-2-90 को प्रधान के पास पेशगी के थे, जिस में से मु0 4490/- रु0 दिनांक 2-4-90 को वापसी पेशगी दर्शाई और 1360/- रु0 का श्याम दास को चरान के दर्शाए जबकि श्याम दास के ब्यान के अनुसार उसने कोई चरान नहीं किया तथा राशि का छलहरण किया है, वापसी पेशगी में से 794/- रु0 पंचायत सचिव के पास ही बताए है, और सरिया उसके द्वारा नहीं लाया गया ।

4. बैंक से राशि प्रस्ताव पास करके राशि निकाली दर्शाई है, जबकि कार्यवाही में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया । क्योंकि श्री ख्याली राम प्रधान को दिनांक 27 जुलाई, 1992 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उन्होंने 10-8-93 को अपना उत्तर दिया है, को असंतोषजनक पाया गया ।

उन्होंने अपने उत्तर में यह व्यक्त किया है कि मु0 5200/- रु0 स्लेट क्रय व ढुलान को पेशगी दी थी जो बाद में कार्य न करने पर वापिस ली गई व चरान इत्यादि व मजदूरी में पुनः खर्च की गई । जबकि चरानी श्री श्याम दास ने कोई भी चरान पंचायत का न करने का ब्यान दिया है, तथा नकद बाकी प्रधान के पास ही चली आ रही हैं जिनके लिए वे अधिकृत नहीं है ।

स्कूल भवन, कोठी पर जो आठ स्लेटें क्रय किए बताए हैं वे भी मौका पर नहीं पाए गए । बैंक से जो राशि निकाली जाती रही है उसके बैंक से निकाले के प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में नहीं पाए गए जो फर्जी ही बनाकर राशि निकालते रहे इस प्रकार प्रधान का उत्तर असन्तोषजनक पाया गया ।

श्री ख्याली राम प्रधान, दिनांक 17-6-92 के उपरान्त पंचायत की बैठकों से बिना कारण अनुपस्थित रह रहे है । उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भविष्य में नियमित रूप से पंचायत की बैठकों में भाग लेने

को आदेश भी दिए परन्तु वह केवल 12-3-93 के बाद भी कई बैठकों में अनुपस्थित रहने के दोषी पाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त श्री दयाली राम प्रधान ने दिनांक 4-11-91 को सिंचाई कुहल, पटारना के लिए मु0 3,000/- रु0 खण्ड विकास अधिकारी, आनी से रसीद संख्या 62394 द्वारा प्राप्त किए परन्तु रसीद की दूसरी परत को पंचायत रिकार्ड में रहती है, पर मु0 3/- रु0 नकद राम से दान दिखा कर मु0 2,997/- रु0 को अपहरण में संलिप्त पाए गए हैं ।

और श्री दयाली राम के विरुद्ध नियमित जांच भी चल रही है और वे पंचायत की नकद राशि को अब तक भी जमा करने में असमर्थ पाए गए हैं । इसलिए यही उचित समझा जाएगा कि उन्हें पंचायत के प्रधान पद से निलम्बित करना जनहित में उचित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री दयाली राम प्रधान, ग्राम पंचायत कराड, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करने के सहर्ष आदेश देते हैं । वे अपना समस्त कार्यभार उप प्रधान/ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कराड को सौंप देंगे ।

हस्ताक्षरित,
विशेष सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी जिला, मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1993

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए0(1)61/92-7090-7095.—इन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम, 19(डी) [जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-पी0सी0एच0-एच0बी0(2)19/75, दिनांक 15-1-1982 के साथ पढ़ा जाये] के अधीन प्राप्त हैं, मैं, ए0 आर0 रिजवी, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, श्री हरि सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत ध्वाल, विकास खण्ड सुन्दरनगर का त्याग-पत्र तत्काल स्वीकार करता हूं साथ ही ग्राम पंचायत ध्वाल में उप-प्रधान पद को रिक्त भी घोषित करता हूं ।

ए0 आर0 रिजवी,
अतिरिक्त उपायुक्त ।

परिवहन विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-171002, 15 दिसम्बर, 1993

संख्या 5-13/85-परि-I.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28/29-10-93 जो कि समस्त पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारियों को गाड़ियों के लिए नई पुख्ता आवंटन करने के सम्बन्ध में है, का क्रम

जारी रखते हुए "एच0 पी0-01 से एच0 पी0-49" के स्थान पर "एच0 पी0 01 से एच0 पी0 51" पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा,
ओ0 पी0 यादव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला-171006

विज्ञापन बाबत तजवीज "चक तशखीश" अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणू, तहसील कसौली, जिला सोलन

अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणु, जिला सोलन में आने वाले महालात/उप-महालात की नवीन भू-राजस्व दरें कायम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 3 की पालना में "नेवल" चक तशखीश (असैसमैंट सर्कल) में रखे जाने की तजवीज है ।

उक्त चक तशखीश में एन0 ए0 सी0 उक्त में पाये जाने वाले महालात/उप-महालात की हैसियत जमीन आदि में एक दूसरे में अन्तर हो सकता है, जिस अन्तर को जमा जदीद की बाछ के समय कायम शुद्धा दरों में नियमानुसार कमी/बेशी, दी जाकर समायोजित किया जावेगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 14 के अर्थानुसार यह विज्ञापन जारी करके सर्वसाधारण जनता, एन0 ए0 सी0, परवाणू, जिला सोलन को सूचित किया जाता है कि उक्त तजवीज बारे किसी महानुभाव को किसी प्रकार का उजर/ऐतराज हो या सुझाव आदि प्रस्तुत करना हो तो इस विज्ञापन की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अन्दर-अन्दर लिखित रूप में इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

दिनांक 20 दिसम्बर, 1993

के0 एस0 नारंग,
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।